

महोदय जी,

ज्ञान जॉन्व समिती में
सम उपस्थित थे। जिलमें आवेदनकर्ता द्वारा
कथन है कि हमने महाविद्यालय की गरिमा को
धूमिल किया है। महोदय हमारे द्वारा
सितंबर माह में परंपरा अनुसार छात्र-छात्राओं
के द्वारा वेलकम पार्टी का आयोजन किया
गया था। एवं अपनी सुरक्षा को ध्यान में
रखते हुए हमने बालोद कीतवाली पाना में
आवेदन किया था। जिलमें किसी भी
जगह महाविद्यालय के नाम का उल्लेख
नहीं किया गया था। शिक्षाधिकारी द्वारा
आपके समक्ष जिल आवेदन का प्रिंट प्रस्तुत
किया गया है, वह पहले ही वापस लिया
जा चुका था। एवं आपके अनुमति के
बिना महाविद्यालय परिसर में पुलिस आई
पी, जिलके संबंध में हमें किसी प्रकार
की जानकारी नहीं है।

यदि हमारे द्वारा झूल
चूक से महाविद्यालय की गरिमा को धूमिल
किया गया हो, तो इसके लिये विधि
संक्रमण द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के
समस्त विद्यार्थी कामप्राप्ति है।

जॉन्व
समिती

सिआंड

16/10/2024

16.10.24 || धन्यवाद ||

समस्त विधि विभाग

छात्रासे

अंजलि V
Rajni V

पैठक कार्रवाई

कक्षा 11 समय 12:30 बजे दिनांक 15-12-2023

आज दिनांक 15-12-2023 को महाविद्यालय के शिकायत निवारण समिति की आवश्यक पैठक आयोजित की गई जिसमें एक आवेदन से परत शिकायत का विषय - 'महाविद्यालय परिसर के गमलों को चोरी के शिकार के आवेदन' का निवारण पर चर्चा की गई।

आवेदनकर्ता देवेन्द्र कुमार (163 ई. 50) को डिप्टी डायरेक्टर (म.म.म. 5000 समाजशास्त्र) को समिति के सामने उपस्थित होने कहा गया उपरोक्त दोनों ने उपस्थित होकर समिति के तैरित वचन दिया है। क्षितिज मिश्रा परीक्षा कारण से समिति के सामने उपस्थित नहीं हुआ।

समिति ने आवेदनकर्ता के वचन में महाविद्यालय के गुंथाल पन्तारी श्रीमती जयंती सिंह का नाम गमलों को चोर ले जाने का उल्लेख किया है।

समिति ने श्रीमती जयंती सिंह (गुंथाल) को उक्त आवेदन के संलग्न में अपना पक्ष रखने उपस्थित होने कहा गया जिस पर तैरित वचन श्रीमती जयंती सिंह ने समिति के सामने उपस्थित होकर तैरित किया।

तैरित वचन में श्रीमती जयंती सिंह ने स्वीकार किया है कि आपने पन्तारी में गुंथाल में रखे गमलों को चोरी लगाने के उद्देश्य से ले गई थी जिसे दूसरे दिन 12-12-2023 को पौछे लगाने के बाद वे उसे महाविद्यालय में वापस

कुमारी प. 12/12/23

प्रकाशमोहन
सादर उद्धृत।

15/12/2023

संयोजक
सिद्धांत मोहन



प्रवेशपत्र ११२३

ले जाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि
जब गमलों को घर ले जाने का कार्य यह
था कि उनके घर से अपने बागवानी में
पाँचे लगाने दो माली बुलाई थी जिनके
द्वारा पाँचे गमलों में लगाना उचित
रहेगा।

इनो पृष्ठों के लिखित बयानों से
स्पष्ट होता है कि श्रीमती जयंती सिंह
(गुंथपाल) द्वारा गमलों को महाविद्यालय से
घर ले जाने का उद्देश्य पाँचे लगवाने
का था न कि चोरी करने का।

अतः समिति सर्वसम्मति से इस
निष्कर्ष पर पहुँचती है कि देवेन्द्रसिंह
एवं अन्य के द्वारा लगाया गया
आरोप निराधार एवं असत्य है।

अतएव उक्त आवेदन / मामले को
नस्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

- १ प्रो. जे. उमर नायक 15-12-23
- २ श्रीमती सुनिता गणेश जोशी 15/12/2023
- ३ प्रो. पी. एन. राव 15/12/23
- ४ डॉ. राघवेश पाण्डेय 15/12/2023
- ५ डॉ. डी. आर. वैद्य 15/12/2023
- ६ डॉ. एच. एल. लखन शास्त्री 15/12/23
- ७ प्रो. शैलेंद्र आर्य 15.12.23
- ८ स्वी. डी. मणिमंडल 15.12.23

Principal
Gandharam Singh Gupta
College, Raipur (C.B.)

प्रति

श्री माधव प्रचार्य मधेव्यजी

आ. द. सि. कु. रत्ना महा विद्यालय

बालोद

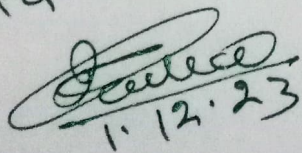
प्रत्यक्ष - महाविद्यालय परिसर के गमलों के चोरी के खिलाफ मोचन

मोचन जी

आपको ज्ञान कराना चाहते हैं कि
महाविद्यालय परिसर में उपस्थित गमलों के रिकशा में
छोटी के बाद कुम्हारों द्वारा गुप्त रूप से लकड़ी का उपयोग
के लिए कुपे बिना किसी परमिशन सरकार से प्रति
को चोरी करके ले जाया जा रहा है हमारे
महाविद्यालय की संपत्ति को जो गरीब विद्यार्थियों
के पैसे से लिया जाता है और उसका
चोरी पर कुम्हारों (शासकीय) द्वारा किया जाना बहुत
ही खर्चानुसार है जो पर कड़े करवर्ष है
हमारे तालाब प्रांगण से निरन्तर किया जाय
हमारी नीति है इस पर कार्यवाही

हमें और निश्चित किया जाय

जांच समिति


1.12.23

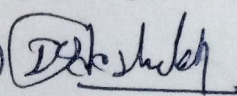
प्रार्थी

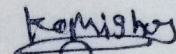
महाविद्यालय के सचिव द्वारा

डिप्टी कमिशनर

मिनिजिस्ट्री

बैकेंद्र साइ

① 

② 

③ 

④

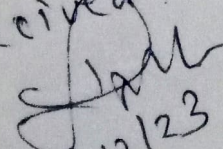
⑤

⑥

9301001719

998151542

8639814167

Received

12/12/23

आज दिनांक 15/12/2023 को 12.30 को
 उपरिचयित हुआ मैंने बताया की जयन्ती सिंह
 द्वारा गमले को रखी है माध्यम से कैलेंडर
 से अपने घर बिना छीनी की जानकारी
 के बिना अपने घर शाम को 5 बजे ले
 गया गया

दिनेश्वर
 12.45 बजे

दिनांक
 15/12/2023

आज दिनांक 15/12/2023 को 12:30 को
 उपरिचयित हुआ मैंने बताया की जयन्ती सिंह
 द्वारा गमले को रखी है माध्यम से कैलेंडर
 से अपने घर बिना छीनी की जानकारी
 के बिना अपने घर शाम को 5 बजे ले
 गया ।

दिनांक
 15/12/2023

दिनेश्वर
 12:47 बजे

आज दिनांक 15-12-2023 को दोपहर 1.00 बजे में ग्राम समिति के समक्ष उपस्थित हुई। मेरा यह कथन है कि -

① - यह सत्य है कि, दिनांक- 30-11-2023 को समस्त लगभग- 4.00 PM. बजे प्रांचालय के साथ से मेरे प्रभार में बरबे राखे गमलों को जो सुख राख थे। पौड़ी लगाने के लिए भाँवों से निवासस्थान भिखवायी थी। गमलों को घर भिखवाने का कारण यह था कि घर में बगवान्नी के लिए दो साली बूझवायी थी।

② - दिनांक 01-12-2023 को लगभग 4.00 बजे शाम को पौड़ी लगाने के बाद गमलें भाँवों से वापस लाया गया।

भर: मेरे ऊपर लगाये भाँवों पर निराधार एवं असत्य है।

समय : 1.00 बजे।

बालोद

दिनांक - 15-12-2023

अश्विनी सिंह
ग्रामपंचायत

शा. महा विद्यालय
"बालोद (छ. ग.)",
दिनांक - 15-12-2023